

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मग इनिशियल्स जज
वाद पत्र संख्या 59 / 2022 GCMS NO 2022/718
सबवानी बजरंग सिंह बनाम नरेन्द्र सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 48 आर टी एक्ट 1955

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

05.08.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सूनाई हेतु अधिवक्ता वादी को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता वादी हाजिर आये। अधिवक्ता वादी को सुना गया। पत्रावली की गत भादेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि वादी को प्रतिवादीगण की तामील करवाये जाने हेतु बार-बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादी ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादीगण की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि वादी को प्रतिवादीगण की तामील कराने में कोई रुची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादी का हस्तगत वाद तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



[Handwritten signature]
5/8/24

(सविता शर्मा)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी
जिला नैमकाथाना (राज0)

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी